

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गिरधरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत, निवासी केसरपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		जड़ाकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत, निवासी केसरपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी)

मुकदमा नम्बर 128/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

17.05.2023

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 05.07.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

रजिस्टर-23 51/5
2720-2723
29.05.23

05.07.23

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
अधिवक्ता वृजगोहन कुशावत द्वारा विप्रार्थीनी सल्लाह 2 की अंतर्गत से बकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थीनी सल्लाह 2 के जवाब व शेज की तामिली हेतु दिनांक 07.8.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

07.8.23

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्तों उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई पत्रावली कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 06.9.23 को पेश हो।

6.9.23

पत्रावली पेश हुई। भीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10.11.23 को पेश हो।



3.04.2025

पसावली आज पेश हुई, विपरीत है,
02 की अर्थ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
प्रार्थी के पील हुए करीब 16 माह से
अधिक समय व्यतीत हो गया है, जबकि
प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा देहाल लिखा के
3 माह के भीतर सुपना दी जानी थी,
एसा स्थिति में प्रार्थी का आवेदन ~~क~~ लंबे
दिना जाके, अतः पर प्रार्थी अधिवक्ता
ने सौख्यक सहस्रक व्यक्त की, अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता
है, पसावली के लिये सुमार होकर दस्तखत
रखता है

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव